सं. 1/20/2016-पी एंड पी डब्ल्यू (ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक 14 नवंबर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: **जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में।**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने क निदेश हुआ है कि प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में जीवन प्रमाण-पत्र (अर्थात् जीवन प्रमाण) प्रस्तुत करने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। इस विभाग को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बायोमीट्रिक प्रणाली (अंगुली के निशान) द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने से कुछ वरिष्ठ पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बैंकों की कुछ शाखाएं ऐसे पेंशनभोगियों का कागजी जीवन प्रमाण स्वीकार करने से इनकार कर रही हैं। इस विभाग ने ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लिया है।

2. अत: सभी पेंशन वितरक बैंको को सलाह दी जाती है कि जहां बायोमीट्रिक प्रणाली द्वारा अंगुली का निशान स्वीकार नहीं की जाती है, ऐसे मामलों में बायोमीट्रिक के वैकल्पिक तंत्र, अर्थात् आइरिश स्कैनिंग का उपयोग किया जा सकता है। तथापि, यदि अंगुली के निशान या आइरिश स्कैनिंग, दोनों ही के द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण प्राप्त करना संभव नहीं है, तो पेंशनभोगी को किसी परेशानी से बचाने के लिए बैंक पेंशनभागी द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजी जीवन प्रमाण पत्र को ही स्वीकार करें । किसी भी मामले में पेंशनभोगी को प्रणाली द्वारा बायोमीट्रिक स्वीकार नहीं किए जाने की वजह से उसका जीवन प्रमाण पत्र स्वीकार किए बिना लौटाया न जाए।

3. ऐसे मामले भी इस विभाग के संज्ञान में आए हैं, जहां बैंकों की शाखाएं पेंशनभोगी के गंभीर बीमार/अशक्त होने के कारण स्वयं उपस्थित न होने पाने पर भी जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए पेंशनभोगी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर जोर दे रही हैं। ऐसे मामलों में जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। सभी पेंशन वितरक बैंकों द्वारा कड़ाई से पालन किए जाने के लिए इस संबंध में जारी किए गए निम्नलिखित निर्देशों का पुन: उल्लेख किया जा रहा है:-

क. वृद्ध एवं अशक्त पेंशनभोगियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए बैंकों को सीपीएओ द्वारा जारी स्कीम बुकलेट के पैरा 15.2 और भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 9 नवंबर, 2017 की अधिसूचना सं. आरबीआई/2017-18/89 डीबीआर, सं. एलईजी. बीसी 96/09.07.05/2017-18 के अनुसार ऐसे पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण पत्र उनके परिसर/आवास से प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने के ठोस प्रयास किए जाएं।

ख. यदि सीपीएओं के दिनांक 30.06.2011 के परिपत्र सं. सीपीएओ/टेक/ग्रीवेन्सेस/2010-11/531 और दिनांक 30.01.2015 के का.ज्ञा.सं. सीपीएओ/टेक/लाइफ सर्टिफिकेट/2014-15/31-72 में निर्धारित फार्म में पेंशनभोगी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र उसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है तो बीमार और अशक्त पेंशनभोगियों के मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाए (संलग्न)।

उपर्युक्त के आलोक में, सभी पेंशन संवितरक बैंकों को सुझाव दिया जाता है कि वे उपर्युक्त दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

संलग्न: यथोपरि।

सु. चौधुरी

(सुजाशा चौधुरी)

निदेशक

सेवा में

सभी बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

भारत सरकार
वित्त मत्रांलय
व्यय विभाग
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय
त्रिकूट -2, भिकाजी कामा प्लेस
नई दिल्ली - 110 066

सं. सीपीएओ/टेक/लाइफ सर्टिफिकेट/2014-15/31-72

दिनांक 30.01.2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: **जीवन प्रमाण पत्र के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट।**

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अपने दिनांक 27.01.2015 के का.ज्ञा. सं. 42/39/2014-पीएंडपीडब्ल्यू (जी) द्वारा परिचालित दिनांक 03.02.2015 को आयोजित की जाने वाली आगामी स्कोवा बैठक के लिए अपने एजेंडे में अधिकृत बैंकों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में मौजूदा नियमों का पालन न करने का मुद्दा उठाया है। इस विभाग को सूचित किया गया है कि कुछ बैंक शाखाएं पीपीओ के साथ जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए पेंशनभोगियों की व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर दे रही हैं।

2. संशोधन पर्ची संख्या 14 के माध्यम से जारी किए गए "अधिकृत बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन के भुगतान की स्कीम" में संशोधन की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। संशोधन पर्ची संख्या 14 में प्रत्येक वर्ष नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र के प्रयोजन के लिए पेंशनभोगी को बैंक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट देने की सुविधा प्रदान की गई है, बशर्ते जीवन प्रमाण पत्र, संशोधन पर्ची संख्या 14 (प्रतिलिपि संलग्न) में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

3. इसके अलावा, प्रधान मंत्री के मिशन "डिजिटल इंडिया" के एंक हिस्से के रूप में और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा "अधिकृत बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन के भुगतान की स्कीम" की संशोधन पर्ची संख्या 22 के रूप में परिचालित सॉफ़्टवेयर एप्लीकेशन के विकास के साथ पेंशनभोगी, आधार पर आधारित जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन के माध्यम से अपना जीवित होने का प्रमाण दे सकते हैं।

4. उपर्युक्त के आलोक में, सभी अधिकृत बैंकों की पेंशन खाता धारक शाखाओं (पीएएचबी) को मौजूदा मानदंडों का कड़ाई से पालन करने और बैंक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर जोर देकर पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को परेशान नहीं करने के निर्देश दिए जाएं, यदि उनका जीवन प्रमाण पत्र, आधार पर आधारित जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन सहित "अधिकृत बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन के भुगतान की स्कीम" की संशोधन पर्ची संख्या 14 में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित किया गया है।

संलग्न: यथोपरि।

ह. / -
(डी.के. सैनी)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

सेवा में

अधिकृत बैंकों के सभी सीपीपीसी प्रमुख (सूची के अनुसार)

भारत सरकार
वित्त मत्रांलय
व्यय विभाग
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय
त्रिकूट -2, भिकाजी कामा प्लेस
नई दिल्ली - 110 066

सीपीएओ/टेक/ग्रीवेन्शेस/2010-11/531

दिनांक 30.06.2011

सेवा मे

सभी महाप्रबंधक
नोडल अधिकारी

परिपत्र

विषय: **पैरा 15.2 में संशोधन (स्कीम बुकलेट चौथा संस्करण का पी-11, 3 दिसम्बर 2004) - जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में।**

पेंशनभोगी द्वारा प्रति वर्ष नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने संबंधी स्कीम बुकलेट के पैरा 15.2 का संदर्भ लें। पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा के लिए पैरा 15.2 में संशोधन कर केंद्रीय कोषागार नियमावली (सीटीआर) के नियम 343 के उपबंधों को शामिल किया जा रहा है, जिसे पैरा 15.2 (i) के रूप में पढ़ा जाए।

पैरा 15.2 (i) के अनुसार:

किसी ऐसे पेंशनभोगी को जो नीचे विनिर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए अनुबंध -XVII में निर्धारित फार्म में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाती है:-

(i) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति;
(ii) भारतीय पंजीकरण अधिनियम के तहत नियुक्त कोई रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार;
(iii) कोई राजपत्रित सरकारी कर्मचारी;
(iv) पुलिस थाने का न्यूनतम उप-निरीक्षक के पद का प्रभारी पुलिस अधिकारी;
(v) भारतीय रिज़र्व बैंक का ग्रेड-1 अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहायक बैंक के अधिकारी (ग्रेड II अधिकारी सहित);
(vi) कोई पेंशनभोगी अधिकारी जो सेवानिवृत्ति से पहले, मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता था;
(vii) कोई न्यायमूर्ति;
(viii) खंड विकास अधिकारी, मुनसिफ, तहसीलदार या नायब तहसीलदार;
(ix) पंचायत, ग्राम पंचायत, गांव पंचायत या किसी गांव की कार्यकारी समिति का प्रमुख;
(x) संसद, राज्य विधान सभाओं के सदस्य, या संघ शासित प्रदेशों / प्रशासनों की विधान सभाओं के सदस्य;
(xi) कोषागार अधिकारी

किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के माध्यम से पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी के मामले में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के किसी अधिकारी द्वारा जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। विदेश में रहने वाले और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किसी दूसरे बैंक के माध्यम से अपनी पेंशन आहरित

करने वाले पेंशनभोगी के मामले में, बैंक के किसी अधिकारी द्वारा जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। पेंशनभोगी द्वारा बैंक के उपर्युक्त अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिलती है।

भारत में निवास नहीं करने वाले पेंशनभोगी, जिसका विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि/ एजेंट, किसी मजिस्ट्रेट, नोटरी, बैंकर या भारत के राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, उसे विशेष उपस्थिति से छूट दी जाती है।

पैरा 15.1 की विषय-वस्तु (स्कीम बुकलेट चौथा संस्करण, 3 दिसंबर 2004) यथावत है।

अनुरोध किया जाता है कि इसे अपने बैंक की सभी शाखाओं को कड़ाई से अनुपालन के लिए व्यापक प्रचार और परिचालित किया जाये।

इसे महालेखा नियंत्रक कार्यालय के दिनांक 18 अप्रैल 2011 के यूओ सं. 1 (7) (4) / 2010 / टीए / 171 और दिनांक 28.06.2011 के यूओ सं. 1 (7) / सीपीएओ / स्कीम बुक / 2005/ टीए / 254 द्वारा सहमति प्राप्त है।

ह./-

(एच. अथेली)
उप लेखा नियंत्रक